19/5/25 अभिभाषक अपीलान्ट उप०। बहस अभिभाषक अपीलान्ट सुनी गई। विवादित आराजी के खातेदार हुसैनी पुत्र शामलिया थे। उनकी मृत्यु के बाद वारिसान अलीमोहम्मद, साबू, निजाम व मामुद्दीन पर खातेदारी अधिकार प्रकान्त हुये। अपीलाधीन विरासत का नामान्तकरण संख्या 133 दिनांक 29-5-1984 मौजे ग्राम रतन का पुरा तहसील सॉपऊ में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत शिजरे में अपीलान्ट मामुद्दीन के स्थान पर उसके उपनाम बाबू अंकित कर दिया। अतः अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 133 ग्राम रतन का पुरा तहसील सॉपऊ दिनांक 29/5/1984 को निरस्त कर पुनः सही नाम से नामान्तकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों में अपीलान्ट का नाम मामुद्दीन पुत्र हुसैनी है एवं रेस्पो० संख्या 2 लगा० 3 ने भी शपथ पत्र पेश कर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर बाबू के स्थान पर मामुद्दीन किये जाने का निवेदन किया है तथा अपनी सहमति जाहिर की है।

-PTO--

अतः उभयपक्षों की सहमति एंव प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 133 दिनांक 29-5-1984 बाके ग्राम स्तान का पुरा तहसील सैपऊ निरस्त किया जाकर तहसीलदार सैपऊ को पुनः उभयपक्षों को सूचित कर अपीलान्ट के सही नाम की जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आदेशिका की प्रति तहसीलदार सैपऊ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से काम की जाकर दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।

श्रीनिधि बी टी
जिला कलक्टर, धौलपुर